(भारत का राजपत्र, असाधारण के भाग-III, खण्ड-4 में प्रकाशित)

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

जी. संख्या -101 **नई दिल्ली, 11 मई 2011**

अधिसूचना

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38 वाँ) की धारा 48,49 और 50 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, एततद्वारा पूर्वकाल में तूत्तुक्कुडि पत्तन न्यास अब व.उ.चिदम्बरनार पत्तन न्यास की प्रचलित दरमान की वैधता की अवधि को संलग्न आदेशानुसार बढ़ाता है।

(रानी जाधव)
अध्यक्ष

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण
मामला संख्या. टीएएमपी/15/2006-टीपीटी

आदेश

(मई, 2011 के दूसरा दिन पारित)

यह मामला पूर्वकाल में तूत्तुक्कुडि पत्तन न्यास अब व.उ.चिदम्बरनार पत्तन न्यास की प्रचलित दरमान की वैधता की अवधि बढ़ाने से संबंधित है।

2. इस प्राधिकरण ने दिनांक 14 जुलाई, 2008 को आदेश संख्या टीएएमपी/15/2006-टीपीटी के माध्यम से पिछलीबार अनुमोदित किया था। आदेश दरमान की वैधता को 31 मार्च, 2010 तक निर्धारित करता है। इस प्राधिकरण ने अपने आदेश दिनांक 31 मार्च, 2010 के माध्यम से दरमान की वैधता 30 सितंबर, 2010 तक अथवा संशोधित दरमान की कार्यान्वयन के प्रभावी तिथि, इसमें से जो भी पहले हो , अवधि तक बढ़ाया जाता है।

3. मार्च 2010 में दरमान की सामान्य संशोधन के लिए वीओसीपीटी द्वारा दाखिल बृहत प्रस्ताव को प्रशुल्क मामला के रूप में पंजीकृत किया गया है एवं इसे परामर्श के लिए रखा गया है। इस मामले में संयुक्त सुनवाई की कार्रवाई 29 मार्च , 2011 को संपन्न हुई थी । संयुक्त सुनवाई की कार्रवाई में पत्तन ने दिनांक 15 अप्रैल 2011 तक अद्यतन लागत विवरणी एवं अपेक्षित सूचना को प्रस्तुत करने के लिए सहमति व्यक्त किया था। अनुस्मारक देने के वाबजूद भी , पत्तन से प्रत्युत्तर अभी तक प्रतीक्षित है।

4. जैसा कि पत्तन की प्रत्युत्तर प्राप्ति के उपरांत,मामला को अंतिम विचार विमर्श के लिए परिपक्व होने में कुछ और समय चाहिए, यह प्राधिकरण वीओसीपीटी के प्रचलित दरमान की वैधता के समाप्त तिथि से 30 सितंबर, 2011 तक अथवा संशोधित प्रशुल्क की कार्यान्वयन की प्रभावी तिथि, इसमें से जो भी पहले हो, अवधि तक बढ़ाया जाता है।

5. इसके निष्पादन की समीक्षा के दौरान, यदि 1 अप्रैल,2010 के बादवाली अवधि में स्वीकार्य लागत और अनुमेय प्रतिलाभ से अधिक कोई अतिरिक्त अधिशेष उभरता है तो उसे निर्धारित किए जाने वाले प्रशुल्क में पूर्णरूपेण समायोजित किया जायेगा।

(रानी जाधव)
अध्यक्ष